

Registered & Refereed Online Journal
Website - www.therubrics.com

ISSN 2454-1974

Volume 1



Issue 3

August 2015

Chief Editor Dr. Ganesh Vaykos

THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies



Published by
Magnus Publishing & Distributors
Parbhani 431 401. MS India.
www.magnuspublishing.com

ISSN 2454-1974

THE RUBRICS

Refereed International e Journal of Interdisciplinary Studies

<http://www.therubrics.com>

Volume 1 Issue 3 August 2015

Chief Editor
Dr. Ganesh Vaykos



MAGNUS
PUBLISHING

ISSN 2454-1974

The Rubrics is a refereed, international e journal of interdisciplinary studies indexed by Directory of Research Journal Indexing which has globally recognized indexing directories as associated partners.

Published bi-monthly



Copyright © The Rubrics 2015. Individual Works © Authors 2015



The Rubrics by Magnus Publishing & Distributors is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Users may download and print articles for individual, non-commercial use only. Contents may not be copied without proper attribution to the copyright holder. For permissions beyond the scope of this license please contact the publisher at info@magnuspublishing.com

AIMS AND SCOPE

The Rubrics Journal of Interdisciplinary Studies (ISSN 2454-1974) aims to encourage scholars to undertake research leading to sustainable development across disciplines. The Rubrics is theory and research oriented journal that encourages original research, case studies and methods, data reports, datasets, review manuscripts, conceptual frameworks, analytical models, technical notes, and book reviews. The Rubrics highly promotes research across disciplines and encourage scholars to contribute innovative results to the existing knowledge base.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

<http://www.therubrics.com>

PUBLISHER

Magnus Publishing & Distributors
Dhanlaxmi Nagar, Jintur Road,
Parbhani 431 401. MS India.

Phone: +91-9423-683-600

Email: info@magnuspublishing.com
<http://www.magnuspublishing.com>

The Rubrics Journal of Interdisciplinary Studies

ISSN 2454-1974

<http://www.therubrics.com>

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Dr. Ganesh Vaykos *Asst. Prof. of Psychology, B Raghunath College, Parbhani. MS.*

Associate Editors

Dr. Pratima Gond *Asst. Prof. MMV, Banaras Hindu University, Varanasi. UP.*

Dr. Gyandev Upade *Asst. Prof. of Philosophy, B Raghunath College, Parbhani. MS.*

Dr. Mahesh Dwivedi *Asst. Prof. SEAS College, Mainpuri. UP.*

Dr. Bhagwan Shendge *Asst. Prof. of Geography, B Raghunath College, Parbhani.*

Assistant Editors

Dr. Anand Shewale *Asst. Prof. of Economics, M. Basweshwar College, Latur. MS.*

Mr. Balaji Gurude *Asst. Prof. of Geography, St. Tukaram College, Parbhani. MS.*

Copy Editor

Mr. Sachin Khadke *Asst. Prof. of Marathi, Sharda College, Parbhani. MS.*

Mr. Madhav Patil *Asst. Prof. of Hindi, B Raghunath College, Parbhani. MS.*

Section Editor

Dr. P Sawai *Asst. Prof. of English, GVIT, Amaravati. MS.*

Managing Editor

Rekha Pund *SSA Department of School Education and Literacy, Govt. of India.*



THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

© <http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

Language of Advertising

Dr. Tukaram Bobade

Assistant Professor & Head, Department of English,
P.A.H. College Ranisawargaon. Tq. Gangakhed Dist. Parbhani

Published online: 01 August 2015

APA Citation: Bobade, Tukaram. (2015). Language of Advertising. *The Rubrics Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(3), 87-91.

Abstract

Advertising is a form of communication. It is as old as humanity. It is the market instrument which advertisers use to influence the behaviour of consumers at the point of purchase. The immense growth of technology and the quick spread of worldwide communication and marketing during the last century triggered the proliferation in advertising. Advertising aims to persuade the consumer and to manipulate the opinion of consumer towards particular products or market. It persuades consumers to act or think in a textually determined way in order to boost sales of particular commodities and services. In order to capture attention, convey the message and persuade the consumer, advertising texts use a range of manipulative language devices. As the form of communication the advertising should be handled to fulfil the purpose of the communication.

Keywords: *advertising, communication, language*

Language of Advertising

Tukaram Bobade

Introduction

“The communication must be interpreted and understood in the same manner, as the sender desired, if it is not understood properly, the purpose of communication is defeated. When the recipient could not interpret the message properly or could not understand it properly ‘miscommunication’ occurs.” (Kadvekar, 06)

Advertising has to consider the occasion and what is fitting for it. It should take into account the type of products or services to be advertised; whether it is a luxury goods or consumer goods. The age and sex of the target audience also play an important role. Language is also one of the important factors that determine the effectiveness of an advertisement on a target audience.

Features of Language of Advertising:

Advertising can be categorized as an appeal – oriented text and persuasion is the pre – dominant function of it. In appeal – oriented text the information is always presented from a particular perspective and with a particular purpose. So the language used for this purpose should be used with great care. Maximum information should be expressed in minimum words, so shortness or economy of the words is the need of language of advertising. As Dr. Kannan and Dr. Tyagi says,

“The language of advertising is, of course, normally very positive and emphasizes why one product stands out in comparison with another.”

Lack of the time for the reading of advertisements for the people is the main reason behind this. Other linguistic features will be discussed briefly in the following way:

1. Lexical Features

Persuasion is the main objective of the advertising. According to this objective advertisements manipulate words in order to make the message more persuasive. Advertising language has the following lexical features:

i. Heavy use of modifying adjectives and adverbs

Extensive use of adjectives and adverbs is the main feature of advertising language which appeals to the emotions of the targeted customers. As Gramley and Patrold observe,

“A majority of persuasion techniques strives to create a positive impression through evaluation and emotional appeal. Emotionality and evaluation are best expressed through an extensive use of adjectives or

adverbs which attribute certain qualities and properties to the object advertised”.

Such emphasis and enumeration of the best qualities of the advertised product appeal to the feelings of the audience and makes the message more impressive.

For ex.

- A delicious, creamy get up and go coffeehouse style.
- Hydrating, smooth and silky washes the moisture (Head & Shoulders)

ii. Manipulation of Verbs through tense shifting

Another device which expresses the special feature of advertising language is manipulation of verbs through the shifting. The corpus of advertising texts exhibits the dominant use of the present tense. The present tense verbs help English advertisements to characterize and portray the desirable situation express positive thoughts and comments and show the benefits of the advertised object. Also, the present tense infers that the action is happening now and that everything being said is a ‘general truth’.

For ex.

- Like many leading sportsmen, Britain’s Mark faster uses Wellman’s....

iii. Use of Neologisms

Neologisms are newly coined lexical units or existing lexical units that acquire a new sense. Formation of neologisms is very prominent in English language advertisements. As John Algeo mentions that,

“Creating words from nothing is comparatively rare. Most words are made from other words, for example, by combining whole words or word parts. A compound is made by putting two or more words together to form a new word with a meaning in some way different from that of its elements.”

They help to create the feeling of novelty and surprise.

For ex.

- Whenopause? Estroven before. During. After.

iv. Influence of SMS Language

In recent years, advertisements have been increasingly influenced by SMS language. The long message leaves the less impression. So, short messages are more commonly used. The visual effect of SMS language also tends a feeling of novelty that helps to make the advertisements more memorable.

For ex.

- EAT RIGHT 4 YR TYPE (book)

- “r u ready?” (McDonald’s)

2. Structural, Grammatical and Syntactic Features

Advertising language has the following syntactic features:

i. Short eye – catching sentences

Short and eye catching sentences make ads easy to remember. So advertisements consist of several short, simple sentences. Multiple sentences tend to be longer and less memorable.

For ex.

- Wake up and smell the Carte Noire.

ii. Use of Unconventional punctuation of Multiple Sentences

Sometimes, advertisements exhibit an unconventional punctuation of multiple sentences.

For ex.

- Darwin may have the theory But we’ve got the keys.

iii. Highly elliptical and omittive nature

In advertisements language is highly elliptical as ellipsis is used for language economy and it can create the sense of informality. The most commonly omitted elements tend to be copula, auxiliary verbs and subjects pronouns.

For ex.

- Are you getting enough? It is important to have enough calcium..... (omission of object)

iv. Repetition

Repetition is also one of the important features of advertising language which employ large number of repetitive devices which help to impress the consumers through the constant emphasis of key words and ideas.

For ex.

- Motorola. Motorola.

Intelligence everywhere.

- Maximum clean.

Maximum control.

Maximum anti – dandruff protection.

With the above mentioned features of advertising language we are able to get the idea that the language is used according to the purpose of the use and situation. Language is flexible which accepts change, adaptations of different types as per the changes in the society.

References

Kadvekar S. V. & et. al. (2005). Business communication Pune: Diamond Publication.

Kannan R. & Tyagi Sarika. (2013). "Use of Language in Advertisements', *English for Specific Purposes World*". 13(37).

Gramley, St. & Patrold, K. A Survey of Modern English. London: Routledge.

Algeo, John. (2005). The Origins and Development of The English Language Boston: Wadsworth Cengage Learning.



THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

© <http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

Are The Cultural Trends of Media Declining?

Nikunj Upadhyay

Research Scholar

Published online: 01 August 2015

APA Citation: Upadhyay, Nikunj. (2015). Are The Cultural Trends of Media Declining? *The Rubrics Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(3), 92-95.

Abstract

The trends of media has been frequently changing these days the new forms of media is shining bright and with this the media is renouncing its identity ,worth respect in today's society . It is seen that media's impact on society has greater importance than any other sources ,as defined all the means related to mass communication such as TV , radio , newspaper cinema and internet is known as media The main source of entertainment in today's scenario is cinema 90% of fashion trends culture develops from cinema and the left is carried by internet and social working sites As the topic media includes various things but I will be preferably focusing on bit of cinema and more on journalism

Keywords: *media, meriting, cultural trends*

Are The Cultural Trends of Media Declining?

Nikunj Upadhyay

Introduction

The snare of media is endless in present scenario media has brooked off all the walls and have reached to the nook and corner of the society it has actually converted its originality its culture with the new and modern trends which has no root hold, the work of media is at the time of independence was to purely provide information to the society so as the people of society can achieve its freedom and can fight with lay hands, in those days media reporter use to work hard to find and publish an authentic news of informative kind but from 18th century till today media has totally upheaval its image for gaining TRP and advertisements while writing for harijan newspaper Ghandhiji said that the motive of journalism is to provide a pure information with full details and description to society with this great thoughts and highly dedicated spirit of getting a good media culture we have been able to have a free India And A Free Press . Same as with the Indian cinema the earlier cinema had variety of things good collection of songs the script of movies were either country oriented or some kind of sweet love stories but today's cinema deals with 55% of crime like robbery ,rape, kidnapping etc. which give strength to the unwanted criminals of the society.

There was a time when the actor's journalist used to be the best in acting or in gathering the news for mass for e.g. Raja Ram Mohan Roy has written for magazine like Samvad Kumudni, Miratul Akbar in which he focused on women upliftment social togetherness no discrimination, this was the turning point for media and its culture, media was aim oriented like in making good news which had only one goal that is to publish best news and if and provide a better thinking to society but if we talk about today's ratio media has entered all the zone of society even though it will be soon seen that media is entering the bedroom section of celebrity politicians and the effected people, the cultural code of conduct has been evaporated with the modernity of society, media is highlighting those news which is totally crime based like the Arushi hatyakand case , if you have focused in that time period many cases happened with , so the culture of the society got badly affected I as a girl was to very much worried that anything can happen with me anywhere , before going further let's see today's working style of media which has greater affect in the culture of society.

- Its cultural values are getting lost
- Yellow journalism is given much importance and is growing faster
- Authentic news is getting vanish
- Entering the personal life

In ancient era media used to focus on issues related to government and their policies there were some women's also who use to write good but did not appear as a journalist or reporter due to the lack of development of nation but as trends changed women's started getting respect in society and even they proved them to be strong as men the best example is Bharka Dutaa who bravely did the Kargil War Reporting. With this the view the image of women changed in society now women journalist are being the best amongst all others e.g. Nidhi Razdan who was awarded with Goneka award in 2007 with these encouraging female journalist many other female journalist tried to taste the power of writing and speaking and is the best today. Same happened with the cinema life ancient era had lack of actresses but today there ample of female actress who are in the best position in the Indian industry and is promoting other female's to come up. , According to a mini research done by few group of people 90% of culture arouses from media.

Methodology

The research requires a descriptive study for which I have done a comparative study of news channels and newspapers of 19th century and the modern era, since at the time of establishment of media, media have gone through many hurdles like the vernacular press act or the licensing of printing press etc. the role of media was to become a bridge between public and policy maker.

The truth as all honest journalist known is that newspaper is full of error. When media was in full swing to get its stability in society at that time all the worker of media houses used to work as a team there was a sense of respect for elder's eminent writer use to keep trainees so that the society should get good material to study the object of media houses were to provide people those stories which have sense , the news stories used to be so pleasant that it never created an environment of crime and hatred same as with cinema were the concept of script was to develop a feeling of respect ,love for parents and family these movies were based on concept of oneness dedication and devotion the movies like mother India , padosan still has its worth alive in film industry because the aim was either entertainment or passion towards the country at that time the youth of the India equally respected there family love them which means the culture of the society was healthy and in news there were news sections divided as one religious bulletin in whole day were information regarding temples holy places were given cultural development of society was kept in mind but today its talking about celebrity's personal life so as to gain viewer's attention here at this point we can do a clear comparison that is the youngsters have any idea that what is the impact of touching feet of parents what is the meaning of family get together the answer is no and when a youngster see's that Ranbir had frequent breakups his dressing style so will he follow the culture of Ranbir but if media also tells how Ranbir obeys his parents how often they go for family get together then it can at least make a youngster feel that what and which vibes of Ranbir should be followed by him, media too is responsible for providing information to the society and it should be kept in minds of editor's only that which news has what impact on the people so that it should be published or broadcasted,

A best example of cultural impact of media on society is Recently You must have noticed Damini Rape Case 2012 where media played a vital role if you must have seen the news deeply media only focused that how rape happened what were the tools and techniques applied for doing rape and after that many rape cases happened with the same method and technique with this it can be said that media is destroying its own culture as well as destroying the culture of society similarly the cinema today is not focusing on issues which will make a youngster think once the script the stories are not goal oriented the motive is to develop a fascinating environment which is hundred times away from the original truth in destroying the culture of society the another major role is played by the daily soaps of some channels which basically don't have any concept any information or anything related to education there motive is to only hamper the youngster's so that they could not think big so that there the root of Indian culture should be vanished completely, this is all because of making money , by spoiling the culture and the youth, instead movies should be in such a way that it should promote a healthy atmosphere other than promoting crime and vulgarity because youth thinks them to be next to god. Recently some movies tried to make this culture alive and gained success in doing so like *Tare Zamen Par*, *Chak de India*, *Mary Com*, and *Queen* made a happy environment in the society.

Conclusion

Taking an overview of media form past till present it is clearly seen that media has eradicated its culture from good to worse and still worst the present media has only one target to achieve that is collecting multiple ads and getting highest T.R.P by anyway , the true media which survive in hard times has been completely destroyed and media houses have made media a hub of collecting money and it is very sad to say that if this system would be applied in media houses then the time is not far when no one will trust media and there information and the worth of media will be totally lost . Therefore media should take a positive initiative to brush and polish the value and ethics of society, media should made such bulletins which has the motive to provide information to the society it should promote a healthy atmosphere so that no wrong message should be delivered to the society, secondly media should provide accurate and honest information to the society so that the gap generated between society and government will be erased.

Reference

https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Noida_double_murder_case

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Delhi_gang_rape



THE RUBRICS

Bi-monthly e Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

<http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

Implementing TQM Management Application in Libraries

Dr. Prashant B. Mene

Librarian

Sharda College, Parbhani, MS, India.

Published online: 01 August 2015

APA Citation: Mene Prashant. (2015). Implementing TQM Management Application in Libraries. *The Rubrics E Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(3), 96-100.

Abstract

The information needs is very important in the qualitative management of libraries. This paper discusses the concept of Total Quality management (TQM) and its application to the library science. The basic idea of TQM is 'Commitment to continuous Improvement' which is equally applicable to libraries also. Various key concepts, elements of TQM to be considered in Implementation of quality improvement process are specially described.

Keywords: *TQM Management*

Implementing TQM Management Application in Libraries

Dr. Prashant Mene

Introduction

Quality is defined as:

Good accommodation- seating, lighting, heating, toilets

Good housekeeping

Reliable equipments

Helpful, courteous staff

Efficient administration/backup service

Monitoring & evaluation

Feedback loops to build-up improvement procedures and / or checking that improvements are put in place.

Thus quality is indissolubly linked to the aim of customer satisfaction and that which meets the needs. Of users in consistent fashion, and quality must become a way of life.

Quality Control: On the other hand, assumes that there is a real concern with quality & that procedures have been put in place to exercise control over the output. In a library and Information Science context QC is based on

Defection of errors in internal processes

Control of non-performance at the point of delivery (through customer complaints, procedures, failures identified & action taken to rectify them.

Quality Assurance : Involves planning & designing quality into all processes involved in delivering the service, coupled with systematic use of quality data throughout the organization i.e., Shift from Concept on Inspection Quality Failures out to designing Quality in: i.e., Prevention rather than Cure.

Total Quality Management (TQM) is a management philosophy & company practices that aim to harness human & material resources in the most effective way to achieve the objectives of the organisation. It involves total commitment, dedication, team work and long term commitment to training and development for all staff.

As a matter of fact, TQM is based on:

One objective: continuous improvement

Three principles: customer focus, process improvement, total involvement

Six supporting Elements: Leadership, Education & Training, A supportive structure, Communication, Reward & Recognition and Measurement.

The following are the 13 Steps Involved in TQM

Understanding Quality

Commitment to Quality

Policy on Quality

Organization for Quality

Measurement of the costs of Quality

Planning for Quality

Design for Quality

System for Quality

Capability for Quality

Control of Quality

Teamwork for Quality

Training for Quality

Implementation of TQM

Key Features of TQM are:

Total ownership

Quality improvements as a way of life

Partnership with suppliers and users

Identification of key performance indicators

Employee participation

Teamwork given priority

Removal of internal barriers

Simplification

Standardization of processes

TQM and Libraries

The essence of a TQM-based organization is customer-centered culture that emphasizes continuous incremental improvement of products and services through employee involvement and participative management.

Quality System Requirements:

1. MANAGMENTS RESPONSIBILITY:

a) Appointment / Nomination of Quality manager to be in charge of overall quality system.

b) Review periodically the Quality system to ensure that it is appropriate to current needs and continues to be effective in implementing the Quality Policy formulated.

2. QUALITY SYSTEM : Requires the full documentation of the library's service i.e., preparation of the Quality Manual detailing specific quality practices, resources and sequence of activities relevant to a particular product, services and illustrated by flowcharts, as well as the procedures followed and the Quality Records to be maintained.

Conclusion

Total quality management (TQM) is a new management concept of quality improvement perhaps if one were to examine critically his book "Library Administration" a prosaic manual of all distinctive libraries functions and general function provides details regarding factors in planning.

TQM is management concept to achieve excellence. It does not demand to do different thing.

References

Kiritharan, Gana. (2003): *Total Quality Management – A System to Implement*. New Delhi, UBS Publishers Distributors.

JOSEPH AND BERK (Susan) (1995): *Total Quality Management; implementing continuous improvements*. Excel Books India.

RANGANATHAN (SR.): *The Five Laws of Library Science*. Madras Library Association.



THE RUBRICS

Bi-monthly e Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

<http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

दलित मुसलमान और आरक्षण नीति

डॉ. प्रतिमा गोंड

सहा. प्राध्यापिका, समाजशास्त्र विभाग,
महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारत.

Published online: 01 August 2015

APA Citation: गोंड प्रतिमा (2015). दलित मुसलमान और आरक्षण नीति, द रुब्रिक्स
आंतरविद्याशाखीय जर्नल, 1(3), 101-120.

सारांश

आज कल दो सिद्धान्तों की ज्यादा चर्चा हो रही है। समावेशी विकास और समावेशी लोकतन्त्र। समावेशी विकास का अर्थ यह है कि जो वर्ग या लोग विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाना। समावेशी लोकतन्त्र का अर्थ, जो लोग या वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीतिक संस्थाओं में नहीं है या उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम प्रतिनिधित्व है उन्हें भी प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करना उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक कार्यवाही की बात होती है। सकारात्मक कार्यवाही को मूर्तरूप देने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं ने आरक्षण को एक सशक्त माध्यम माना है। भारत सरकार को चाहिए कि दलित और पिछड़े मुसलमानों के साथ हो रहे ऐतिहासिक ना इंसानी को खत्म करे और शीघ्र ही रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट को लागू करे। तभी भारत समावेशी लोकतन्त्र के आदर्श को प्राप्त कर सकेगा सामाजिक न्याय की अधूरी कार्यवाही पूरी हो सकेगी।

संज्ञा: दलित मुसलमान, आरक्षण नीति

दलित मुसलमान और आरक्षण नीति

डॉ. प्रतिमा गोंड

प्रस्तावना

आज कल दो सिद्धान्तों की ज्यादा चर्चा हो रही है। समावेशी विकास और समावेशी लोकतन्त्र। समावेशी विकास का अर्थ यह है कि जो वर्ग या लोग विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाना। समावेशी लोकतन्त्र का अर्थ, जो लोग या वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीतिक संस्थाओं में नहीं है या उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम प्रतिनिधित्व है उन्हें भी प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करना उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक कार्यवाही की बात होती है। सकारात्मक कार्यवाही को मूर्तरूप देने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं ने आरक्षण को एक सशक्त माध्यम माना है।

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में आरक्षण हजारों-हजारों वर्ष से समाज की एक व्यवस्था रही है। यह आरक्षण विधिवत रूप से कानून के रूप में मान्य भी रहा है। हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों की मान्यता, कानून की विधान पुस्तकों की जैसी रही हैं। जो उनमें लिखा है वही कानून माना गया है और जब तक भारत से अंग्रेज नहीं गए और नया संविधान लागू नहीं हुआ तब तक राजाओं और न्यायालयों ने उसी शास्त्र सम्मत कानून के अनुसार ही दण्ड आदि के निर्णय किए जाते थे। हिन्दुओं के धार्मिक दस्तावेज, धर्मशास्त्र आदि सभी ग्रन्थों में ब्राह्मण के नाम विद्या, क्षत्रिय के नाम सत्ता, वैश्य के नाम व्यापार और शूद्र के नाम गुलामी का आरक्षण रहा है। कानून का उल्लंघन करने पर मृत्यु दण्ड या अंग-भंग का दण्ड भी दिया जाता था। इस शास्त्रीय आरक्षण का परिणाम यह रहा है कि विद्या, धन, यश, वैभव और राज सिंहासन मुट्ठी भर (15) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के हिस्से में चला गया, दूसरी ओर बहुसंख्यक (85) शूद्र, अंधकार, गरीबी और गुलामी की चक्की में पिसता रहा है। जैन, बौद्ध, सिख, गौतम, महावीर, सूफी सन्त और इनके अतिरिक्त कबीर रैदास, चार्वाक जैसे लोग भी आए

लेकिन इनका विद्रोह हिन्दू व्यवस्था को हिला नहीं सका। वस्तुतः सामाजिक असमानता ज्यों की त्यों बनी रही। मध्यकाल में सूफी सन्तों के माध्यम से इस्लाम भारत में प्रविष्ट हुआ, उसकी समतावादी विचारधारा के कारण बहुत से अछूत जातियाँ इस्लाम के झंडे के नीचे चली गयी। लेकिन सूफी सन्तों के समतावादी धारण पर भी वर्चस्ववादी और हिन्दू वर्ण व्यवस्था का प्रभाव हावी हो गया और इस्लाम में अशरफ, अरशाल जैसे वर्ग बन गए। यहाँ भी ऊँच-नीच, छुआछुत की भावना घर कर गयी।

ब्रिटिश राज्य में आरक्षण नीति

मुसलमान शासकों के बाद अंग्रेजों का शासन आया। 1857 के बाद औपचारिक रूप से मुगलशासन का अन्त हो गया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के कुछ अधिकारों की कटौती की और अछूतों की दशा सुधरने के लिए उन्हें सरकारी सुविधा देने की अनेक योजनाएँ तैयार की। सर्वप्रथम 1881-82 में जिला मुख्यालयों पर अछूतों के लिए अलग से स्कूल खोले गए, लेकिन शीघ्र ही इन्हें बन्द भी कर दिया गया क्योंकि सवर्ण अध्यापकों ने इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद चार्टर अधिनियम बनाकर कम्पनी सरकार ने सरकारी सेवाओं में सभी के लिए दरवाजे खोल दिए लेकिन यहाँ भी परिणाम शून्य ही रहा इस प्रकार 19वीं सदी के अन्त तक भारत में स्कूलों एवं सरकारी कार्यालयों के दरवाजे अछूतों के लिए लगभग बन्द ही रहे। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में दलित नेता डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों की वकालत करते हुए उनके लिए कानूनी आरक्षण की माँग की, जिसके फलस्वरूप 20 अगस्त 1917 में माण्टेग्यू चेक्सफोर्ड की रिपोर्ट में प्रथम बार दलितों को प्रतिनिधित्व देने की बात प्रकट हुई। सन् 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई तथा 1930 में मर्वनमेन्ट आफ इण्डिया रायल कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिससे यह सुझाव दिया गया कि सरकारी नियुक्तियों में सभी जातियों के सदस्यों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। 12 नवम्बर 1930 को गोलमेज सभा का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. अम्बेडकर को वायसराय द्वारा आमन्त्रित किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने 1928 में साइमन कमीशन के सामने जो माँगें रखी थी वहीं माँग गोलमेज सभा में डॉ. अम्बेडकर ने ज्ञापन देकर दलितों के

उत्थान हेतु प्रस्तुत किया। 24 दिसम्बर 1932 को डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गाँधी के बीच पूरा पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ, यही से आरक्षण के प्रावधान की स्थापना हुई तथा निर्वाचित संस्था और गैर सरकारी नौकरियों में अछूतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था स्वीकार की गई। सन् 1935 में पूना पैक्ट के उक्त प्रावधान को संविधान में प्रवेश दिया गया और कानूनी रूप से आरक्षण देने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया, यही से प्रथम बार दलितों को नौकरियों में आरक्षण का प्रारम्भ हुआ। 1944 में केन्द्र सेवा में 12.5 प्रतिशत आरक्षण को आदेश जारी किए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। दलितों के उत्थान के लिए संविधान में कई उपबन्ध किए गए।

सामान्यतः भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था है। समाजशास्त्रियों ने इन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया है। अशराफ (उच्च वर्ग) अजलाफ (पिछड़े वर्ग) तथा अरलाज (अछूत वर्ग)। अशराफ में देशी और विदेशी दोनों नस्लों के लोग को सम्मिलित किया जाता है। देशी अशराफ वे लोग हैं जो पहले हिन्दू उच्च वर्ग के थे लेकिन सत्ता, सम्मान और धन की वजह से इस्लाम धर्म अपना लिया। विदेशी अशराफ मुख्यतः मुस्लिम शासक वर्ग के लोग हैं। अजलाफ में, मुस्लिम व्यवसायिक जातियाँ हैं। इनमें अधिकांश लोग हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल लिए हैं। अरशाल मुख्यतः हिन्दू अछूत ही हैं जो इस्लाम के समतावादी धारणा से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिए। जहाँ तक आरक्षण नीति के प्रश्न हैं। मध्यकाल में अशराफ मुस्लिमों को ही सत्ता और सरकारी पद पर 100 प्रतिशत आरक्षित था। ब्रिटिश शासन के समय सर्वप्रथम मुस्लिमों के हितों को ब्रिटिश शासन तक पहुँचाने का कार्य सरसैयद अहमद खाँ ने किया। इन्होंने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने और सरकारी पदों को पाने का आह्वान किया और सरकार से माँग की कि निर्वाचित संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सर सैयद अहमद खाँ और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों के ऐतिहासिक भूमिका और राजनीतिक महत्व को मान्यता देने की माँग करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों, विधिकाओं आदि में मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या वह मुसलमानों के तीनों वर्गों की बात करते थे? या सिर्फ

अशराफ मुसलमानों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर देने हुए प्रो. हसन निशांत अपनी लेख, 'सोशियों इकोनोमिक स्टेट्स एण्ड कंडीशंस ऑफ दिन मोमिन अंडर ब्रिटिश रूप में लिखते हैं, "सर सैयद अहमद खाँ भारत के समूचे मुस्लिम आवाम के नेता नहीं थे वे मूल रूप से भारत के उच्च वर्ग के नेता और प्रवक्ता थे। वे उस बुजूवाइ संस्कृति के रक्षक थे जो राजनीतिक दासता, सामाजिक पिछड़ापन और दबे-कूचले जनसमुदायों पर आधारित था। 1887 ई. में लखनऊ मोहम्मडन अजुकेशन कान्फ्रेंस में भाषण देते हुए सर सैयद ने लेजिस्लेटिव काउंसिलों में चुने हुए सदस्यों को भेजने सम्बन्ध प्रस्ताव को विरोध इसलिए किया कि चुने हुए सदस्य साधारण लोगों के बीच से आएँगे, जो उनकी तरह के लोगों या वायसराय द्वारा सम्बोधित कि जाने योग्य नहीं होंगे या सामाजिक भद्रजनों के साथ एक टेबुल पर बैठने के योग्य नहीं होंगे। सर सैयद के अनुसार बड़े खानदान में पैदा हुए लोग ही वायसराय की काउंसिल में जगह पाने योग्य हो सकते हैं। अतः उनका चयन कास्ट स्टेट्स के आधार पर होना चाहिए न कि योग्यता के आधार पर।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर सैयद अहमद खाँ विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो माँग कर रहे थे वह सिर्फ अशरफ (उच्च वर्गीय) मुसलमानों के लिए ही था। निम्न वर्गीय मुसलमानों के लिए नहीं। सर सैयद के मिशन को बढ़ाने के लिए अभीजातिय वर्गीय मुस्लिमों ने 30 दिसम्बर 1906 में 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीक' की स्थापना की। 1908 ई. में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतशहर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की माँग की, जो 1909 ई. के मार्ले मिण्टो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। प्रारम्भ में कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध करती थी लेकिन 1916 ई. में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। इस समझौतों में प्रथम बार कांग्रेस, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकृति दे दी। 1919 ई. के भारत शासन अधिनियम में केन्द्र स्तर पर दो सदन थे। राज्य परिषद और केन्द्रिय विधान सभा। केन्द्रीय राज्य परिषद में मुस्लिमों के लिए 11 पद आरक्षित थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 60 थी। इस प्रकार मुस्लिमों के लिए 18.3 प्रतिशत पद आरक्षित था। वही केन्द्रीय विधान सभा 30 पद मुस्लिमों के लिए आरक्षित था। कुल सदस्य संख्या 145 की थी। इस प्रकार मुस्लिमों को कुल 20.6 प्रतिशत पद

आरक्षित थे। लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार सामान्यजन को नहीं था बल्कि कुलीन वर्ग को था। इसलिए विधायिकाओं में अशराफ मुस्लिम ही निर्वाचित होते थे क्योंकि मत देने का अधिकार संपत्ति सम्बन्धी योग्यता पर आधारित था। संपत्ति सम्बन्ध योग्यता, दलित और पिछड़े मुस्लिम रखने असमर्थ थे क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इस अधिनियम में वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15000 रु. थी। 10000 रु. लगान के रूप में देते थे। बंगाल में तो वही वोट दे सकते थे। जिनके पास राजा व नवाब की उपाधियाँ हो।

15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया है। इस विभाजन का जिम्मेदार, अनेक कारणों में, एक कारण पृथक निर्वाचन पद्धति को भी माना गया इसलिए संविधान सभा ने 'पृथक निर्वाचन पद्धति' के स्थान पर 'संयुक्त निर्वाचन पद्धति' को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट (1928) ने सिफारिश किया था कि 'केन्द्रीय और प्रान्तीय विधायिकाओं ने जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों के लिए 10 साल तक सीटे आरक्षित होनी चाहिए।' लेकिन नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिमों के लिए 'पृथक निर्वाचन पद्धति' को स्वीकार नहीं किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिनिधित्व की समस्या के समाधान के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एक विकल्प हो सकता है।

संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक मामलों पर, सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसकी पहली बैठक 27 फरवरी 1947 को हुई। इस बैठक में चार उपसमितियों के गठन का निर्णय लिया गया। अल्पसंख्यक मामलों की उपसमिति का अध्यक्ष श्री एच. सी. मुखर्जी को बनाया गया। इस समिति ने 8 अगस्त 1947 को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया कि केन्द्रीय और प्रान्तीय विधायिकाओं का चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से हो और 10 वर्षों तक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जनसंख्या में अनुपात में सीटे आरक्षित कर दी जाए। इस समिति ने बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की भी सिफारिश की थी। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में अनेक उपबन्ध शामिल किया। जो इस प्रकार है वंचित समूहों के लिए समता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में

दोहरी रणनीति अपनाई गई है। एक तरफ इसमें विधि के समक्ष समता का उपबन्ध किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समान विधिक संरक्षण प्राप्त करेगा और उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और दूसरी ओर इसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों के शैक्षिक, आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए विरुद्ध विधिक और अन्य रक्षोपाय किया जा सकें। संविधान में प्रतिष्ठापित आरक्षणों से सम्बन्धित विभिन्न उपबन्ध निम्नानुसार है।

1. अनुच्छेद – 14– समता का अधिकार : यह अपेक्षित है कि “राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से यह विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।” यह समता का अधिकार सार्वजनिक संसाधनों जैसे पेय जल, कुँआ, सड़कों आदि के लिए पहुँच प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद – 15– विभेद के विरुद्ध प्रतिषेध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषिद्ध करता है।
3. 16–अनुच्छेद– लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अनु. 16 के खण्ड (1), (2), और (3) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से, किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा
4. अनुच्छेद 29, और 30। ये दो अनुच्छेद (धर्म और भाषा पर आधारित) अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा सम्बन्ध अधिकारों को संरक्षित करते हैं, इसमें निम्न प्रावधान है।
 - (क) अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।
 - (ख) उनके पास शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।
 - (ग) ऐसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के मामलों में राज्य को कुछ निश्चित सावधानियाँ बरतनी होंगी।

- (घ) ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता मंजूर करते समय राज्य कोई विभेद नहीं करेगा।
- (ङ) अनु. 29 (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली सभी शिक्षण संस्थाओं पर यह प्रतिबन्ध लगाता है कि किसी नागरिकों धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित न कर सके।
5. अनुच्छेद 46— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षण और अर्थ सम्बन्ध हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।
6. अनुच्छेद— 335— सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे और प्रशासन की दक्षता बनाए रखना। जबकि अनुच्छेद 16 (4) राज्यों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष के आरक्षणों के लिए उपबन्ध करने के लिए उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है। तदनुसार अनुच्छेद 335 का एक परन्तु संविधान का 82वाँ संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अतः स्थापित किया गया है ताकि एस. विनोद कुमार भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न संकट से पाया जा सके। यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए अंकों में छूट या मानकों को नीचे करता है।
7. अनुच्छेद 330 के अधीन अनुच्छेद जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान।
8. अनुच्छेद 332 में राज्यविधान सभाओं में अनु.जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
9. अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया। इस आयोग का कार्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए रक्षापायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण

करने और उन्हें मानीटर करने और रक्षापदों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना है।

10. अनुच्छेद 338 (क) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसका वही कार्य है जो अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति आयोग का है। सिर्फ अन्तर इतना है कि यह जनजातियों के कल्याण के कार्य करता है।
11. अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए आयोग गठन कर सके है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए संविधान के ठोस उपाय किया गया है। इसके लिए विधायिकाओं तथा नौकरियों में आरक्षण कर प्रावधान किया। 1950 में राष्ट्रपति आदेश के तहत (पैरा 3) में संशोधन करके गैर हिन्दू जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए कोई ठोस उपाय संविधान में नहीं किया गया।
12. अनुच्छेद 341 के अधीर राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति की सूची घोषित करने का उपबन्ध। इस उपबन्ध के तहत राष्ट्रपति ने 1950 में प्रथम आदेश जारी किया और 1956 और 1990 दो बार संशोधित किया गया। 1950 का आदेश, 1936, 30 अप्रैल पर आधारित था। 1936 की सूची में मुस्लिमों की कुछ जातियाँ इस सूची में थी। लेकिन ईसाई और बौद्ध धर्मावलम्बी नहीं थे।

स्वतन्त्रता भारत में मुसलमानों की कुछ जातियों को केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण 1990, 7 अगस्त को दिया गया। यह आरक्षण मण्डल आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया। मण्डल आयोग ने एक अन्य पिछड़ा आयोग की एक सूची तैयार की थी। पिछड़ा वर्ग का इतिहास प्रथम बार मैसूर राज्य से मिलता है। 1918 में ब्राह्मणों में छोड़कर सभी समुदायों को पिछड़ा वर्ग नाम दिया था तथा कॉलेजों और सेवाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। स्वतन्त्रता भारत में अनेक राज्यों ने भारत सरकार से बहुत पहले ही पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण लागू कर दिया था।

तालिका 1.1 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संस्थाओं सरकारी सेवाओं में आरक्षण

क्र. स.	राज्य का नाम	शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत	समरूपी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत	वर्ष
1	आन्ध्र प्रदेश	25	25	1970
2	बिहार	24	20	1978
3	गुजरात	10	10	1976
4	जम्मू-काश्मीर	42	42	1977
5	कर्नाटक	48	50	19
6	केरल	25	25	1953
7	पंजाब	5	5	1965
8	महाराष्ट्र	34	24	1964
9	उत्तर प्रदेश	15	15	1908
10	तमिलनाडु	31	31	1927
11	हरियाणा	2	10	उपलब्ध नहीं
12	हिमाचल प्रदेश	2	5	—
13	मध्य प्रदेश	25	25	—

भारत सरकार ने संविधान लागू होने के तुरन्त बाद पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 18 मार्च 1953 को प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन काका केलकर की अध्यक्षता में की। जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की। इस आयोग में एक मात्र मुस्लिम सदस्य अब्दुल क्यू से पिछड़ों के रूप में सूची बद्ध किया जिसमें 837 जातियों को सर्वाधिक पिछड़े के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। इस आयोग ने सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। आयोग ने पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं और स्थानीय निकायों की नियुक्ति में न्यूनतम आरक्षण 25 प्रतिशत किया है लेकिन केन्द्र सरकार निकायों की नियुक्ति में न्यूनतम आरक्षण 25 प्रतिशत किया है लेकिन केन्द्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिश लागू नहीं किया क्योंकि आयोग के सदस्यों में ही रिपोर्ट को लेकर मतभेद था।

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) : 20 दिसम्बर 1978 को इस आयोग का गठन किया गया। 31 दिसम्बर 1980 को इस आयोग ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस आयोग ने अध्यक्ष श्री वी.पी. मण्डल थे। इसलिए यह आयोग मण्डल आयोग के नाम से विख्यात हुआ। इस आयोग ने माना कि हिन्दू और गैर-हिन्दू दोनों को मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है। तदानुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीर 52 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित होने चाहिए। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए। अनेक निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध जाता है जिसमें यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत आरक्षण की मात्रा 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण उस संख्या तक सीमित रखना होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 22.5 प्रतिशत आरक्षण जोड़ने से यह 50 प्रतिशत से कम रहे। इस कानूनी अड़चन के कारण, आयोग केवल 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करता है जबकि उनकी जनसंख्या से लगभग दुगुनी है। वे राज्य, जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किया हुआ है, उन पर इस सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आयोग ने 82 मुस्लिम जातियों को ओ.बी.सी. घोषित की। उपर्युक्त सामान्य सिफारिश के साथ, आयोग ने अन्य पिछड़ते वर्गों के लिए आरक्षण को निम्नलिखित समय योजना का प्रस्ताव रखता है

1. खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उनके 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।
2. उपर्युक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति कोटा में भी ग्राह्य बनाया जाना चाहिए।
3. न भरे गए आरक्षण कोटा की तीन साल की अवधि तक के लिए जारी रखा जाना चाहिए और इसके पश्चात् अनारक्षित किया जाए।
4. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट उसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए, जिस

प्रकार अनु. जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में दी जाती है।

इस आयोग की सिफारिश दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए वरदान है। क्योंकि पहली बार इस आयोग के पिछड़े और दलित मुसलमानों को लिए आरक्षण की बात केन्द्र सरकार की नौकरियों में किया। इससे पहले कई राज्यों में पहले ही मुस्लिमों की कुछ जातियों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानते हुए आरक्षण का लाभ दे रहे थे लेकिन भारत सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान पहली बार मण्डल आयोग ने ही किया। इसकी सिफारिश को भारत सरकार 7 अगस्त 1990 को लागू करने की घोषणा कर दी। बड़े विवादों और अदालती निर्णयों के बाद 8 सितम्बर 1993 को भारत सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को विधिवत रूप से लागू कर दिया। जिसमें निम्नलिखित प्रावधान था।

1. भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले सिविद पदों और सेवाओं के रिक्तियों का 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
2. सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित मानकों पर खुली प्रतियोगिता में योग्यता (मेरिट) आधार पर भर्ती अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटे पर समायोजित नहीं किया जाएगा।
3. पूर्वोक्त आरक्षण उन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू नहीं होता जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत आते हैं।
4. पूर्वोक्त आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्ग में वे जातियाँ और समुदाय शामिल हैं जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकारों दोनों की सूचियों में समान हैं।
5. अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किया गया आरक्षण कुल मिलाकर किसी वर्ग की रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
6. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है।
7. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिन्हित कोटे को भरने के उद्देश्य से लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों

के अभ्यर्थियों को अनु. जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों की तरह ही मानकों में छूट दी जाएगी।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त अनुदेश सरकार के अनुदान लेने वाले स्वायत्त निकायों, सांविधिक एवं अर्ध-सरकारी निकायों एवं स्वैच्छिक एंजिसियों में भी लागू होंगे।

उपर्युक्त आरक्षण से दलित और पिछड़े मुसलमानों को अधिक लाभ ही हुआ क्योंकि जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें भारत की ऐसी जातियाँ शामिल हैं जो पहले से ही उनकी आर्थिक व शैक्षिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इनमें दलित और पिछड़े मुसलमानों की शैक्षिक एवं आर्थिक कमजोर होने के कारण प्रतिस्पर्द्धी करने की स्थिति में नहीं थे। इस आरक्षण का लाभ मुस्लिमों में उन्हीं पिछडत्री जातियों को लाभ हुआ जिनकी कुछ आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी ही थी। लेकिन मुस्लिमों में अरजाल (दलित) जातियों को पूर्णतः इस आरक्षण से लाभ नहीं हुआ है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट में यह कमी थी कि उसने सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की, शैक्षणिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं और विधियिका में आरक्षण की सिफारिश नहीं की।

1990 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया। सोवियत संघ का विघटन हुआ। साम्यवाद का प्रभाव दुनिया में कम हुआ। विश्व एकल ध्रुवीय हो गया। दुनियाँ में एक मात्र महाशक्ति पूँजीवादी देश संयुक्त राज्य रह गया। संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीस मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन) के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण (एल0पी.जी.) विश्व में लागू करने का प्रयास किया। इस नवीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भारत पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। इसी प्रभाव के कारण भारत ने 1991 की नयी औद्योगिक नीति के उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण को लागू करना प्रारम्भ किया। इस भूमण्डलीकरण और निजीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के दलित और पिछड़े मुसलमानों पर पड़ा है। क्योंकि यह वर्ग अभी तक छोटे-छोटे

कुटीर उद्योगों से अपनी जीविका अर्जन करता था। भूण्डलीकरण की वजह से ये उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। इस वर्ग की स्थिति और बद से बदत्तर होती जा रही है। इस स्थिति का व्यापक वर्णन सच्चर समिति रिपोर्ट (2005) तथा रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट (2007) स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। ये दोनों समितियों को रिपोर्ट भारतीय दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि प्रथम बार दलित और पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए इन दोनों रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव और उपाय सुझाए हैं। सच्चर रिपोर्ट का चेप्टर दस का शीर्षक है कि ओ.बी.सी. मुस्लिम की पहचान प्रथम पिछड़ा अयोग 1953 (काका केलकर आयोग, और मण्डल आयोग, 1980) में किया गया। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जनगणना 1901 और 1911 का हवाला देते हुए मुस्लिमों में तीन वर्गों की पहचान की है। 1. अशराफ, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ 2. अन्य पिछड़ा वर्ग हिन्दू के समकक्ष, अलजाफ 3. हिन्दू अनुसूचित जाति के समकक्ष अरलाज।

मण्डल आयोग ने अरलाज वर्ग को ओ.बी.सी. की सूची में शामिल करके गलती की है क्योंकि ये वर्ग सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े थे अर्थात् हिन्दू अनुसूचित जाति के समतुल्य थे इसलिए इनके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत थी या अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना चाहिए था। जो मण्डल आयोग ने नहीं किया। इस समिति ने सिफारिश की है कि “अलजाफ वर्ग जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है, वह हिन्दू अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ है इसलिए इनके विकास के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। जबकि अरलाज वर्ग को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए या इन्हें अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके विशेष प्रयास की आवश्यकता है।”

रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट ने दलित मुस्लिमों (अरलाज) को अनुसूचित जाति में शामिल करने की पुरजोर वकालत की व मुस्लिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश किया है।

1. सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए सिफारिश किए हैं जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए सीटे आरक्षित किए जाए। जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यक

आबादी में उनके पहले के 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप होंगे और शेष 5 प्रतिशत सीटें अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होगी।

2. 15 प्रतिशत निर्धारित सीटों में आपस में छोटे-मोटे समायोजन किए जा सकते हैं। निर्धारित 10 प्रतिशत सीटों के भरने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों अनुपलब्ध होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ अल्पसंख्यकों को दी जा सकती हैं बशर्ते उनके सदस्यों के प्रतिशत के अपने हिस्से से अधिक के लिए उपलब्ध हो किन्तु किसी भी स्थिति में संस्तुत 15 प्रतिशत में से कोई भी सीट बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दी जाएगी।

इस आयोग ने उपर्युक्त सिफारिशें कैसे लागू किया जाए इसका भी उपाय सुझाए है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत पूरी तरह अनुमत है फिर भी इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाई हो सकती है, वैकल्पिक रूप में हमने सिफारिश भी है कि मण्डल अयोग रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी का 8.4 प्रतिशत है। इस 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में 8.4 प्रतिशत उपकोटा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। जिसके अन्तर्गत मुसलमानों के लिए 6 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्तर पर कुल अल्पसंख्यकों आबादी में उनके 73 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप) और 2.4 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए इसे विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुसार परस्पर छोटे-मोटे समायोजन के साथ किया जाए।

3. शैक्षिक संस्थाओं में भी 15 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की है जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा।

इस आयोग ने स्पष्ट रूप में सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं में 15 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की बात की है जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की बात की है। लेकिन आयोग ने अल्पसंख्यकों में सभी अल्पसंख्यकों और मुसलमानों में सभी मुसलमानों को क्रमशः 15 और उनमें 10

प्रतिशत मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की है। यह सिफारिश संविधान सम्मन नहीं है क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण को अभी हांलाकि में आन्ध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक घोषित कर चुका है आयोग की दो सिफारिशें सबसे महत्वपूर्ण हैं और संविधान सम्मत भी हैं।

1. 1950 के राष्ट्रपति आदेश के पैरा 3 में संशोधन करके मुसलमान और ईसाई धर्म को मानने वाली कुल जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।
2. मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 27 प्रतिशत 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए आरक्षित सीटों में 6 प्रतिशत मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को आरक्षित करना चाहिए।

भारतीय इतिहास में पहली बार यह आयोग दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की सिफारिश की है। सरकार को चाहिए रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए।

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में अब तक चार राज्य हैं जहाँ दलित और पिछड़ें मुसलमानों के अलग से कोटा निर्धारित है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रतिशत
1	केरल	10–12 प्रतिशत
2	कर्नाटक	4 प्रतिशत (2बी), 1994
3	आन्ध्र प्रदेश	3 प्रतिशत, 2009
4	पश्चिम बंगाल	10 प्रतिशत, 2010
5	केन्द्र सरकार	4.5 प्रतिशत, 2012

आशा किया जा सकता है कि उपर्युक्त राज्यों की भाँति केन्द्र सरकार भी शीघ्र ही रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट को लागू करेगी।

निष्कर्ष

आरक्षण नीति की ऐतिहासिक समीक्षा का स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में द्विज को ज्ञान, शासन और व्यापार आरक्षित था जबकि शुद्ध और अछूत की अन्य वर्गों की सेवा और तिरस्कार। मध्यकाल में बलवन के प्रकरण से स्पष्ट होता है कि सत्ता सिर्फ अशराफ मुसलमानों के लिए

आरक्षित था। जिनका कोपभाजन जुलाहा बिरादरी से ताल्लुख रखने वाले वजीर जनैदी को भुगतना पड़ा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नीति का प्रारम्भ ब्रिटिश काल से माना जा सकता है। इसी काल में सरकारी नौकरियों और विधायिकाओं में आरक्षण की माँग प्रबल रूप से उठी। सर सैयल अहमद खान ने मुसलमानों को आह्वाहन किया कि वे आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। श्री खा ने ही मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और विधायिकाओं में सीटे आरक्षित करने की माँग की। लेकिन उनकी माँग सिर्फ कुलीन (अशराफ) मुसलमानों के लिए था, दलित और पिछड़े मुसलमानों के लिए नहीं था बाद में इसी माँग को 'मुस्लिमलीग' ने भी आगे बढ़ाया। सरकार ने 1909 के मार्लेमिन्टों सुधार में इस माँग को मान भी ली। इसी सुधार के तहत 'मुसलमानों के लिए विधायिकाओं में सीट आरक्षित हो गयी। लेकिन इस आरक्षण का लाभ अशराफ मुसलमानों को ही मिला, दलित और पिछड़े मुसलमानों को नहीं क्योंकि मताधिकार सार्वभौम नहीं था बल्कि इसके साथ संपत्ति और शिक्षा की शर्तें जुड़ी हुई थी। उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करने में दलित और पिछड़े मुसलमान असमर्थ थे। इसलिए मुसलमान के नाम पर सारी सुविधाओं का लाभ अशराफ मुस्लिम को ही प्राप्त था। दलित और पिछड़े मुसलमानों का दुर्भाग्य यह था कि पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन में इनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला अम्बेडकर के भाँति कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। अम्बेडकर ने अपने प्रयास से 'पूनापैक्ट (1932) और भारत शासन अधिनियम (1935) में हिन्दुओं के सामान्य सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटे आरक्षित करवायी।' लेकिन दलित और पिछड़े मुसलमान ऐसा करने में असमर्थ रहे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रथम बार 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग किया 1936 में ब्रिटिश शासन ने 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग किया 1936 में ब्रिटिश शासन ने 'अनुसूचित जाति का लिस्ट (सूची) जारी की।' इस सूची में कुछ मुस्लिम जातियों (हलाल खोर, लालबेगी इत्यादि) इस सूची में शामिल किया गया था लेकिन इनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिला क्योंकि मुसलमानों के लिए 'पृथक निवार्चन व्यवस्था के' अन्तर्गत पहले से ही विधायिकाओं में सीटे आरक्षित थी। लेकिन सरकारी नौकरियों में इसका लाभ दलित मुसलमानों को मिला। विडम्बना यह रहा है कि 1950 के राष्ट्रीय आदेश में, पैरा तीन के 'अनुसूचित जाति की सूची में जब धार्मिक

प्रतिबन्ध लगाया गया तो कांग्रेस के कोई भी मुस्लिम नेतृत्व इसका विरोध नहीं किया और इस प्रतिबन्ध के तहत मुस्लिम को 'अनुसूचित जाति' की सूची से बाहर कर दिया गया। धर्म के नाम पर दलित मुसलमानों के साथ यह एक ऐतिहासिक नाइन्शाफी हुई।

अनु. 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके विकास के लिए सुझाव देने और उपाय बताने के लिए प्रथम पिछड़ा आयोग 1953 और द्वितीय पिछड़ा आयोग (मण्डल आयोग 1978) में गठित किया। जो क्रमशः 1955 और 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। दोनों आयोगों ने मुस्लिमों में जातिवाद को स्वीकार किया इनमें कुछ जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना। इन्हें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की सूची में भी सम्मिलित और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना। इन्हे 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की सूची में भी सम्मिलित करने की सिफारिश की। प्रथम पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को भारत सरकार ने नामंजूर कर दिया लेकिन 1990 में मण्डल आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन यह सिर्फ केन्द्र सरकार की सरकारी नौकरियों तक ही सीमित था शिक्षण संस्थाओं और विधयिकाओं में यह आरक्षण लागू नहीं था। 2009 में जाकर केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है लेकिन उपर्युक्त आरक्षण का लाभ दलित और पिछड़े मुसलमानों को नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट प्रमाण संविधान समीक्षा आयोग रिपोर्ट (2002), सच्चर समिति रिपोर्ट (2005) और रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट (2007) में मिलता है इसलिए उपर्युक्त तीनों समितियों ने पिछड़े और दलित मुसलमानों के लिए विशेष कार्यवाही करने की सिफारिश किया है। इनका मानना है कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की सूची में ऐसी सबल जातियाँ (शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप सिद्ध है जिन्हें दलित और पिछड़े मुसलमान प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। सच्चर रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट दलित और पिछड़े भारतीय मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि प्रथम बार अधिकारिक रूप से मुस्लिमों में अशरफ (उच्च वर्ग) अजलाफ (मध्य वर्ग) और अरजाल (अछूत वर्ग) की पहचान हुई। तीनों वर्गों के विकास के लिए अलग-अलग सकारात्मक कदम उठाने की सिफारिश किया गया है। रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट ने सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी

योजनाओं में 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए आरक्षण की सिफारिश की है। मुस्लिम अछूत (अरजाल जाति) को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 प्रतिशत आरक्षण में 'पिछड़े मुस्लिमों' के लिए 6 प्रतिशत उपकोटा निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस प्रकार भारत के इतिहास में पहली बार दलित और पिछड़े की दर्द को इन आयोगों ने आवाज दी है। भारत सरकार को चाहिए कि दलित और पिछड़े मुसलमानों के साथ हो रहे ऐतिहासिक ना इंसानी को खत्म करे और शीघ्र ही रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट को लागू करे। तभी भारत समावेशी लोकतन्त्र के आदर्श को प्राप्त कर सकेगा सामाजिक न्याय की अधूरी कार्यवाही पूरी हो सकेगी।

सन्दर्भ सूची

- कौशिक राजनीश : 'आरक्षण व्यवस्था समस्या या समाधान', राध पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2010 पृ. 2.
- सागर,एस.एल.: 'आरक्षण क्यों', सागर प्रकाश, मैनपुरी, 1987,पृ.39.
- डॉ.रामबहादुर वर्मा : शाहू जी महाराज का सामाजिक राजनीतिक चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान, पिराज संस्थान चांदपुर, बिजनौर, वर्मा-1 अंक-1 जनवरी सं. 1999..
- विपिन चन्द्रा : भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 1998 पृ. 334.
- सुभाष कश्यप : भारत का संविधानिक विकास और संविधान, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2009, पृ. 83.
- एस. के. पाण्डेय : आधुनिक भारत, प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन 2010 पृ. 177.
- दी नेहरू रिपोर्ट : मिसिको और पंतजन, नई दिल्ली (रिप्रिन्ट) 1975.

- बी. शिवाराव : *द फ्रेमिंग आफ इंडियास कास्टीरियूशन : सेलेक्ट डकुमेन्ट्स*, वेल्थू (नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, 1968) पृ. 396–401.
- भारत का संविधान : *बेयर एक्ट (हिन्दी संस्करण)*, प्रयाग पुस्तक सदन, 2005 पृ. 29.
- भारत का संविधान : *वेपर एक्ट (हिन्दी संस्करण)*– प्रयाग पुस्तक सदन, 2005 पृ. 147.
- द्वितीय पिछड़ा आयोग रिपोर्ट (टवस 1) 1980, पृ. 57.
- रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट– खण्ड 1 पृ. 15.



THE RUBRICS

Bi-monthly e Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

<http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचे वाचन साहित्य (प्रकाशन साहित्य) निर्मितीतील योगदान

राहूल कल्याणराव देशमुख

सह-ग्रंथपाल,

राजीव गांधी कृषी महाविद्यालय, परभणी, महाराष्ट्र, भारत.

डॉ.प्रतिभा गौ.ताकसांडे

ग्रंथपाल,

प्रियदर्शणी महिला महाविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत.

Published online: 01 August 2015

APA Citation: देशमुख आर.के. आणि डॉ. ताकसांडे पी.जी. (2015). महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचे वाचन साहित्य (प्रकाशन साहित्य) निर्मितीतील योगदान, *द रूब्रिक्स आंतरविद्यशाखीय जर्नल*, 1(3), 121-127.

सारांश

ग्रंथपालाची भूमिका मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली. आजचा ग्रंथपाल ही देवाण - घेवाणी पूरता मर्यादीत न राहता संशोधन वृत्ती अंगीकारणारा बनला आहे. आपले ज्ञान व नवीन संशोधन हे जास्तीत जास्त वाचकांनपूढे मांडण्यासाठी त्याने लिखान वृत्ती अंगीकारण करणे आवश्यक आहे . शैक्षणिक विकासात महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. यात महाविद्यालयीन ग्रंथपालांच्या ज्ञानांचा आजच्या विद्यार्थी आणि समाजाला आवश्यकता आहे. या साठीच महाविद्यालयीन ग्रंथपालांनी आपल्या लिखान शैलीच्या मध्यातील आपल्या ज्ञानांचा प्रवाह समाजा पूढे ठेवणे आवश्यक आहे.

संज्ञा: *हवामान, तापमान, पाणी, जमिन, वापर, समस्या, परिणाम, उपाय*

महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचे वाचन साहित्य (प्रकाशन साहित्य) निर्मितीतील योगदान

राहुल कल्याणराव देशमुख
डॉ.प्रतिभा गौ.ताकसांडे

प्रस्तावना

ग्रंथ हे प्रथम त्यातील प्रतिपादित विषयाकरता वाचले जातात. त्याच बरोबर लेखन करीता वाचले जातात. हा ग्रंथालयाशास्त्रातील प्राथमिक धडा आहे. या साठीच ग्रंथालयात विषयाधारित वर्गीकरण आणि तालिकीकरण या दोन तंत्रांचा उगम झाला. पुढे ग्रंथ या संज्ञेची व्याप्ती वाढून ग्रंथातील प्रकरण नियतकालीकांतील लेख, छोट्या पुस्तिका,अहवाल, एखादे छापील भाषण, संशोधकांचे लेख इत्यादींना ग्रंथाइतका दर्जा अभ्यासक देऊ लागले. यातून ग्रंथपालाची भूमिका मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली. आजचा ग्रंथपाल ही देवाण - घेवाणी पूरता मर्यादीत न राहता संशोधन वृत्ती अंगीकारणारा बनला आहे. आपले ज्ञान व नवीन संशोधन हे जास्तीत जास्त वाचकांनपूढे मांडण्यासाठी त्याने लिखान वृत्ती अंगीकारण करणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर ग्रंथपालाच्या बौद्धिक अनुभवाचा उपयोग समाजाला जास्तीत जास्त होण्यासाठी त्यांनी आपल्या ज्ञानांचे लिखानांच्या माध्यमातून प्रकट केले पाहिजे.

प्रस्तूत शोधनिबंधामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा वाचनसाहित्य निर्मिती (Productivity) योगदानाचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

संशोधनाचीय व्याप्ती

संशोधनासाठी डॉ.बा.आ.म.वि.औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद या जिल्हामधील अनुदानित महाविद्यालया पुर्ती आहे. त्यांच बरोबर इ.स.२००० ते २०१४ या पंधरा वर्षातील ग्रंथपालांच्या वाचन साहित्य निर्मितीचा या संशोधन निबंधात अभ्यास करण्यात आला आहे.

महाविद्यालयीन ग्रंथपालाचा संशोधन कार्यस प्रतिसाद

डॉ.बा.आ.म.वि.औरंगाबाद अंतर्गत संशोधना साठी निवडलेल्या महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा प्रश्नवलीच्या मध्यातून संशोधनास मिळालेला प्रतिसाद हा पृढील सारणी मध्ये महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा संशोधन कार्यास प्रतिसाद या मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

खालीन सारणी मध्ये संशोधनासाठी निवडलेल्या ११७ महाविद्यालया पैकी ८६ (७३.५०%) महाविद्यालयीन ग्रंथपालांनी संशोधनास प्रतिसाद दिला आहे. यात ६६ (५६.४१%) महाविद्यालयीन ग्रंथपाल हे पुरुष ग्रंथपाल आहेत. तर २० (१७.०९%) महाविद्यालयीन स्त्री ग्रंथपालांचा समावेश आहे.

सारणी
महाविद्यालयीन ग्रंथपालाचा प्रतिसाद

अनु. क्र.	जिल्हानिहाय	संशोधनासाठी निवडलेले महाविद्यालयीय संख्या	संशोधसाठी प्रत्येक प्रतिसाद	क्षेत्र		लिंग		प्रतिसाद शे.प्र.
				शहरी	ग्रामीण	पु.	स्त्री	
०१	औरंगाबाद जिल्हा	४१	२८	१६	१२	१७	११	२३.९३ %
०२	जालना जिल्हा	१४	१२	०४	०८	१०	०२	१०.२५ %
०३	बीड जिल्हा	३९	३०	०५	२५	२५	०५	२५.६४ %
०४	उस्मानाबाद जिल्हा	२३	१६	०६	१०	१४	०२	१३.६७ %
	एकूण	११७	८६	३१	५५	६६	२०	७३.५० %
	शेकडा प्रमाण		७३.५० %	२६.४९ %	४७.०० %	५६.४१ %	१७.०९ %	

८६ महाविद्यालयीन ग्रंथपाला चे वर्गीकरण केल्यास ३१ महाविद्यालयीन ग्रंथपाल हे शहरी भागातील आहेत. ज्याचे शेकडा प्रमाण २६.४९ % आहे. तर ५५ महाविद्यालयीन ग्रंथपाल हे ग्रामीण भागातील आहेत ज्याचे प्रमाण ४७.०० % आहे.

प्रतिसाद दिलेल्या जिल्हानिहाय ग्रंथपालांचे प्रमाणा मध्ये औरंगाबाद जिल्हांचे २८ (२३.९३%) महाविद्यालयीन ग्रंथपाल, जालना जिल्हामधील १२ (१०.२५%) महाविद्यालयीन ग्रंथपाल, बीड जिल्हामधील ३० (२५.६४ %) तर उस्मानाबाद जिल्हामध्ये १९ (१३.६७ %) महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा यात समावेश होतो.


वर्षनिहाय वाचन साहित्य निर्मिती

वर्षनिहाय उत्पाद कार्यक्षमता सदस्य वाचन साहित्या निर्मिती मध्ये विविष्ट वर्षात सर्वाधिक उत्पादन वर्ष आणि सर्वात कमी उत्पादक विषय डोमेन पाहण्यासाठी कालखंडा नुसार मोजणे आवश्यक आहे.

सध्य स्थीत उपलब्ध असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयीन ग्रंथपालांच्या वाचन साहित्य निर्मितीतील योगदानांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. इ.स. २००० ते २०१४ या १५ वर्षे कालावधीचा कालखंड निहाय वर्गीकरण्यात आले आहे.

आलेख

वाचन साहित्य वर्षनिहाय कालगणना



वरील आलेखा मध्ये इ.स. २००० ते २०१४ या पंधरा वर्ष मध्ये डॉ.बा.आ.म.वि. औरंगाबाद विद्यापीठा अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा वाचनसाहित्य निर्मितील योगदानांचा या मध्ये स्पष्ट करण्यात आला आहे. महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा एकूण वाचन साहित्य निर्मित मध्ये इ.स. २००० आणि २००१ साली मध्ये वाचन साहित्य निर्मिती मध्ये प्रत्येकी ०३ वाचन साहित्य निर्मिती करण्यात आली आहे. इ.स. २००७ पासून वाचन साहित्यात वाढ होण्यास सुरुवात झाली ती २०१४ पर्यंत वाढली आहे. वर्ष २०१२ मध्ये सर्वात जास्त २३७ वाचन साहित्यांची निर्मिती झाली आहे. वर्ष २०१० ते २०१४ पर्यंत वाचन साहित्यनिर्मितीत सतत वाढ होताना दिसून येत आहे.

सहसंबंध (Correlation)

सहसंबंध दर्शविणाऱ्या सारणी मध्ये कार्ल पियर्सन यांचा सहसंबंध गुणांक पध्दतीने शोधण्यासाठी **Matrix** स्वरुपात प्रकाशनातील परस्पर सहसंबंध ८६ ग्रंथपालासाठी शोधला आहे. सहसंबंध मानका आधारे कार्य -कारण संबंध स्पष्ट करणे शक्य होते. दोन चलांमधील सकारात्मक व नकारात्मक सहसंबंधाचे प्रमाण ठरविण्यात मदत मिळते. महाविद्यालयीन ग्रंथपालांशी संबंधीत सारणी वरून डॉ.बा.आ.म.वि. औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या ८६ ग्रंथपालांचा प्रकाशनातील परस्पर सहसंबंधातील फरक स्पष्ट पुढील प्रमाणे करण्यात आला आहे. यात एकत्रीत प्रकाशनातील सहसंबंध शहरी विभागातील ग्रंथपालांचा प्रकाशनातील इतर प्रकारशी सहसंबंध, ग्रामीण विभागातील ग्रंथपालांचा प्रकाशनातील इतर प्रकारशी सहसंबंध सारणी मध्ये स्पष्ट केला आहे.

सारणी

एकूण प्रकाशन साहित्यातील सहसंबंध

For Overall data (86 Observations):

	अनुभव	ग्रंथप्रकाशन संख्या	अंतरराष्ट्रीय नियतका लिकेत लेख	राष्ट्रीय नियतका लिकेत लेख	राज्य पातळी वरील नियतका लिकेत लेख	अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	राष्ट्रीय कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	राज्य पातळी वरील कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	स्थानिक पातळी वरील कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	वर्तमानपत्रातील लेख संख्या	ग्रंथस्मरणीकेतील लेख संख्या
अनुभव	1										
ग्रंथप्रकाशन संख्या	-0.0262	1									
अंतरराष्ट्रीय नियतका लिकेत लेख	0.0304	0.5149	1								
राष्ट्रीय नियतका लिकेत लेख	0.1439	0.2636	0.6845	1							
राज्य पातळी वरील नियतका लिकेत लेख	0.1644	0.1972	0.5824	0.8508	1						
अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	0.0154	0.8380	0.5277	0.3961	0.3517	1					
राष्ट्रीय कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	0.0303	0.6903	0.6456	0.6190	0.5315	0.8155	1				
राज्य पातळी वरील कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	0.1634	0.2212	0.4086	0.6753	0.6233	0.3605	0.5863	1			
स्थानिक पातळी वरील कॉन्फ./सेमिनार लेख संख्या	0.2426	0.0350	0.4687	0.4568	0.4956	0.1651	0.3739	0.5625	1		
वर्तमानपत्रातील लेख संख्या	0.0805	0.3181	0.6594	0.7272	0.6659	0.4741	0.6458	0.5767	0.4652	1	
ग्रंथस्मरणीकेतील लेख संख्या	0.2246	0.3773	0.5259	0.6251	0.6116	0.4170	0.5565	0.5987	0.4437	0.6061	1

वरील सारणी मध्ये प्रतिसाद दिलेल्या ८६ महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा प्रकाशन साहित्यातील योगदानांचा परस्परंशी असलेला सहसंबंध कार्ल पियर्सन यांचा सहसंबंध गुणांक पध्दतीने शोधण्यासाठी **Matrix** च्या मध्यातून तयार करण्यात आले यातून सहसंबंध दर्शविण्यात आला आहे. या मध्ये एकूण प्रकाशन साहित्यातील सहसंबंध पुढील प्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१. वरील सारणी वरून असे स्पष्ट होते की, महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा ग्रंथपालन व्यवसायातील अनुभव आणि प्रकाशन साहित्य यामधील सहसंबंध खूप कमी आहे. ($0 < r < 0.25$) या वरून अनुभव वाढल्यानंतर प्रकाशन साहित्य वाढेलच असे नाही.
२. आंतरराष्ट्रीय परीषदेमध्ये (कॉन्फरस/सेमिनार) शोधनिबंध लेखान संख्या आणि ग्रंथप्रकाशन संख्या यांच्यामधील सहसंबंध ०.८३८० हा सकारात्मक सहसंबंध (High Degree correlation) आहे. ($0.75 < r < 1$) म्हणजे महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचे आंतरराष्ट्रीय परीषदेमध्ये शोधनिबंध लेखांन संख्या वाढल्यास ग्रंथप्रकाशन संख्या पण वाढते.
३. राष्ट्रीय पातळीवरील नियतकालिकेतील लेख संख्या आणि राज्य पातळीवरील नियतकालिकेतील लेख संख्या यामधील सहसंबंध ०.८५०८ हा सकारात्मक सहसंबंध (High Degree correlation) आहे. ($0.75 < r < 1$) म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील नियतकालिकेतील लेख संख्या वाढल्यास राज्य पातळीवरील नियतकालिकेतील लेख संख्या वाढते.
४. आंतरराष्ट्रीय परीषदेमध्ये (कॉन्फरस/सेमिनार) शोधनिबंध लेखांन संख्या आणि राष्ट्रीय पातळीवरील लेख संख्या यामधील सहसंबंध ०.८१५५ हा सकारात्मक सहसंबंध उच्चस्तरीय (High Degree correlation) आहे. ($0.75 < r < 1$) म्हणजे आंतरराष्ट्रीय परीषदेमध्ये (कॉन्फरस/सेमिनार) शोधनिबंध लेखांन संख्या वाढल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील लेख संख्या वाढते.
५. सारणी मध्ये दाखवलेल्याय निळ्या रंगामधील संख्या म्हणजे त्यांच्यातील चलांमधील सहसंबंध हा सकारात्मक सहसंबंध (Positive correlation) आहे. म्हणजे दोन चलांपैकी एक चल जर वाढत असेल तर दूसरे चल वाढते.

निष्कर्ष

१. महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा वाचन साहित्य (प्रकाशन) निर्मिती मध्ये सहभाग आहे.
२. शहरी भागा पेक्षा ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा वाचन साहित्य निर्मिती मध्ये सहभाग सर्वत जास्त आहे.
३. वर्ष २०१० ते २०१४ पर्यंत वाचन साहित्यनिर्मितीत सतत वाढ होताना दिसून येत आहे.
४. महाविद्यालयीन ग्रंथपालांचा ग्रंथपालन व्यवसायातील अनुभव आणि प्रकाशन साहित्य यामधील सहसंबंध खूप कमी आहे.

संदर्भ सुची

- Abt. Helmut, A. (२००७) The publication rate of scientific, papers depends only on the number of scientists. *Scientometrics*. ७३ (३) २८१-२८८.
- Abt, Helmut A, (२००७). The future of single authored papers. *Scientometrics*, ७३ (३) ३५३-३५८.
- Baird, L.L. (१९८६). What characterizes a productive research development? *Research in higher education*. २५, २११-२२५.
- Band, C.J; Ruffin, M.T. (१९९२) Characteristics of productive research environment: literature review. *Academic medicine*, ६७, ३८५-३९७.



THE RUBRICS

Bi-monthly e Journal of Interdisciplinary Studies

Publication details and instructions for authors:

<http://www.therubrics.com>

ISSN 2454-1974

भारतातील शैक्षणिक प्रशासनाचा विकास : प्राचीन काळ

डॉ. प्रविण लोणारकर

लोकप्रशान विभाग प्रमुख,

बी. रघुनाथ महाविद्यालय, परभणी, महाराष्ट्र, भारत.

Published online: 01 August 2015

APA Citation: लोणारकर पी.पी. (2015). भारतातील शैक्षणिक प्रशासनाचा विकास : प्राचीन काळ, *द रुब्रिक्स आंतरविद्यशाखीय जर्नल*, 1(3), 128-134.

सारांश

प्राचीन कालीन शिक्षण व्यवस्थेने आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेचा आधार निर्माण केला ज्यावर आजची शिक्षण रूपा इमारत उभी आहे. अध्यायन, अध्यापन पध्दत व गुस्कूल पध्दत आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहे. आज जगात भारतीय शिक्षण पध्दतीला आदर्श मानले जाते, ती संस्कार केंद्र मानली जातात याचे श्रेय प्राचीन शिक्षण व्यवस्थेला दयावेच लागेल. थोडक्यात मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा विचार करता प्राचीनकाली एक आदर्श शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात होती असेच म्हणावे लागेल.

संज्ञा: शैक्षणिक प्रशासन, प्राचीन काळ

भारतातील शैक्षणिक प्रशासनाचा विकास : प्राचीन काळ

डॉ. प्रविण लोणारकर

प्रस्तावना

कोणत्याही देशाच्या विकासाचा पाया हा शिक्षण आहे. शिक्षणाशिवाय त्या देशाच्या विकासाची कल्पना करणे अशक्य आहे. विकास हा केवळ उद्योग, कृषी, व्यापार भक्कम आर्थिक स्थिती यांच्याशी संबंधित नसतो. विकास हा मूलतः लोकांच्या जीवनाशी संबंधित असतो. लोकांची भौतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक प्रगल्भता व प्रगती हे त्याचे ध्येय असते. मानवसंधान विकास, मानवविकास निर्देशांक या बाबी आज महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. त्या साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक विकास हा मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासात अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (अंधारातून प्रकाशाकडे जाणे) या रचनेप्रमाणे शिक्षण हे अभिव्यक्ती, अध्ययन, ज्ञानप्राप्ती आणि माहिती मिळविणे व त्याचे आदान-प्रदान करणे यासाठी आवश्यक असून वैयक्तिक मूल्यमापन, वाढ आणि राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असे साधन आहे. शिक्षण ही सर्वव्यापी व मुलगामी प्रक्रिया आहे. समाज परिवर्तनाचे ते उत्तम साधन आहे. शिक्षण हा विकासाचा पाया असून एकंदर राष्ट्रीय विकासात शिक्षण महत्वाची भूमिका पार पाडते. सुप्रसिध्द शिक्षण तज्ज्ञ जे.पी. नाईक यांच्यामते "As Education is the most significant factor in development. This is equivalent to say that the entire future of the country would largely depend upon the development of education. (Nayak, ३११)"

भारतीय शिक्षणव्यवस्था ही दिर्घ आशा विकासाच्या टप्यांनी समृद्ध झाली आहे, शिवाय याव्यवस्थेमध्ये अनेक चढ-उतार व संक्रमण आवस्था निर्माण झालेल्या पहावयास मिळतात. आर्यांचे भारतातील आगमन, वैदिक शिक्षणाची उत्क्रांती, ब्राम्हण काळाचा प्रभाव, बौद्ध व जैन धार्माच्या उदयामुळे निर्माण झालेले संक्रमण इत्यादी. म्हणून भारतातील शिक्षणाच्या विकासाचा आढावा घेणे आवश्यक वाटते. प्रस्तुत संशोधनात प्राचीन कालीन भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा विकासक्रम व त्यासाठी निर्माण झालेल्या संस्था त्याच प्रमाणे करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा संक्षिप्त आढावा घेण्यात आला आहे.

संशोधन पध्दत: प्रचलीत संशोधन लेख हा प्राचीन कालीन माहितीवर आधारीत असून तथ्य संकलासाठी प्राथमिक साधनांचा वापर करणे शक्य नसल्याने तथ्य संकलनाच्या द्वितीय साधनांचा वापर करण्यात आला आहे. यात प्रमुख्याने ग्रंथालयीन व इंटरनेटवर उपलब्ध लिखित साहित्याचा आधार घेण्यात आला असून.

संशोधनाच्या मर्यादा: प्रचलीत संशोधन हे प्राचीन कालीन वैदिक व बौद्ध शिक्षण व्यवस्थे पुरते मर्यादीत आहे.

प्राचीन काळ

भारतीय इतिहासात शिक्षणाची परंपरा अतिप्राचीन काळापासून प्रचलित असल्याचे दिसून येते. ज्या काळात जगातील अनेक देशातील लोक रानटी अवस्थेत होते त्यांची संस्कृती निर्माण होणे बाकी होते. त्या काळात भारतात शिक्षण व्यवस्था ही आश्चर्यकारक विकसित झालेली दिसून येते. भारतात वैदिककाळापासून शिक्षण व्यवस्थेला औपचारीक स्वरूप प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसते. वेदांच्या

निर्मातीनंतर शिक्षण नियोजित पध्दतीने गुरु-शिष्याच्या परंपरेतून देण्यात येऊ लागले होते. या ठिकाणी एक विशेष बाब लक्षात घ्यावी लागेल ती अशी की, प्राचीन काळी शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे हे तत्व मान्य केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा म्हणावा तेवढा विकास झाला नाही. शिक्षणाला राजकीय आश्रय न मिळाल्यामुळे शिक्षणाचे आधुनिकीकरणही झाले नाही. संशोधनाच्या सोयीसाठी प्राचीन काळाची विभागणी प्रमुख दोन भागात करण्यात आली आहे.

(१) वैदिककालीन शिक्षण व्यवस्था (२) बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था.

(१) वैदिककालीन शिक्षण व्यवस्था

ज्ञानासाठी ज्ञानार्जन हे भारतीय शिक्षणाचे ध्येय होते, ऋग्वेदामध्ये "मानवाला जे स्वालंबी व स्वार्थ निरपेक्ष बनविते ते शिक्षण असे म्हटले आहे." वैदिककालीन जीवन पध्दतीत शिक्षणाला अतिशय महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसते. वैदिक काळात भौतिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही प्रकारचे शिक्षण दिले जात असे. तत्कालीन मानवी जीवनाची सुरुवात शिक्षणाने होत असे. या काळात विद्यार्थ्यांना भौतिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही प्रकारचे शिक्षण दिले जात असे. ज्ञानार्जनासाठी विद्यार्थ्यांना गुरुंच्या घरी म्हणजे आश्रमात जावे लागत असे. शिक्षकांना त्याकाळी ऋषी म्हणत असत. (जाधव, भोसले, सरपोतदार, ०५) हे गुरु वस्तीपासून दूर अरण्यात रहात असत, विद्यार्थ्यांना उपनयन संस्कार झाल्यानंतर गुरुगृही म्हणजेच आश्रमात पाठवले जाई. विद्यार्थ्यांना गुरुगृही राहूनच शिक्षण घ्यावे लागे. ही गुरुकुले शासनाच्या मदतीवर चालत नसत. "गुरुकूल, राजा किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसे." (शेटकर, जोशी, शेवतेकर, २७)

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्थेमध्ये "उपनयन"या संस्कारास महत्त्व असे. "अध्ययनास प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी उपनयन संस्कार (विधी) उरकण्यात येत असे." हा विधी झाल्यानंतरच गुरुकूलात जाण्याची परवानगी असे. उपनयन वयाच्या ५ ते ६ वर्ष या वयात केला जात असे. शिष्यत्व स्विकारणे सर्वस्वी गुरुच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. (घोरमोड, घोरमोडे, ७, ८)

गुरुकूल पध्दती

उपनयन आटोपल्या नंतर विद्यार्थ्यांना गुरुगृही राहून शिक्षण घ्यावे लागे. एकेका गुरुकडे १० ते १५ विद्यार्थी शिकण्यासाठी असत. शिष्यांना गुरुची सेवा करत शिक्षण घ्यावे लागे. प्राथमिक व उच्च शिक्षण असे शिक्षणाचे दोन भाग करण्यात आले होते. ५ ते १० वर्षांपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण असे व ते गुरुच्या आश्रमात चालत असे, तर उच्च शिक्षणासाठी शिक्षणाची वेगळी केंद्रे होती. (Dash, १४६.)

अभ्यासक्रम

प्राचीन भारतीय शिक्षणाचा इतिहास हजारो वर्षांचा असल्याने अभ्यासक्रम व अध्यापण पध्दती या मध्ये वेळोवेळी बदल होत गेल्याचे दिसून येते. आर्यांच्या जिवनक्रमात आणि समाजजिवनात जस-जशी प्रगती होत गेली तस-तशा ज्ञानाच्या नविन शाखा तयार झाल्या आणि त्या नुसार शिकविण्याच्या पध्दतीतही फेरबदल होत गेले. अभ्यासक्रमाचा मुख्य विषय वैदिक वाडमय हा होता. "विद्यार्थ्यांना वैदिक सुक्ते मुखोद्गत करावी लागत त्याचप्रमाणे छंद शास्त्राचा अभ्यास करावा लागे. ज्यांना धर्मोपदेशकाचा व्यवसाय करावयाचा होता त्यांना यज्ञ यागातील विधी निट करता यावेत म्हणून प्रारंभी भूमिती व ज्योतीषशास्त्राचा अभ्यास करावा लागे. क्षेत्रीय व वैश्य या वर्णातील विद्यार्थ्यांना काही निवडक सूक्ते पाठ करावी लागत. "उपनिषद आणि सुत्रकाळात तत्वज्ञान, विधी, महाकाव्य, भाषाशास्त्र, व्याकरण, या शास्त्राबरोबरच

धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद, इत्यादी कलांची निर्मिती झाल्याची दिसून येते."(Vakil, Natarajan, ०७)

अध्यापन पध्दती

पाठांतर - विद्यार्थ्यांची मानसिक व बौद्धिक क्षमता पाहून शिक्षण दिले जाई. गुरूचे विद्यार्थ्यांवर वैयक्तिक लक्ष असे. त्यामुळे पात्रता व योग्यतेप्रमाणे शिक्षण दिले जाई.(Choube, Chaube, ८) वैदिक काळात छपायी पध्दतीचा शोध व लिखान पध्दतीचा विकास नसल्यामुळे शिकविण्याचे काम केवळ गुरूच्या मुखाद्वारे होई व ते शिक्षण जतन करण्यासाठी शिष्याला दक्षतेने पाठांतर करावे लागे. अध्ययन पध्दतीत श्रवण, मनन आणि एकाग्रता यावर भर देण्यात आल्याचे दिसून येते.(घोरमोडे, घोरमोडे,०७)

- १) वाद-विवाद व चर्चा - पाठांतरा सोबत अध्यापन पध्दतीचा दुसरा मार्ग वाद-विवाद व चर्चा हा होता. पाठांतराला जेवढे महत्त्व होते तेवढेच महत्त्व ज्ञानाच्या जीवनातील वापरासाठी होते. तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, व्याकरण, यज्ञविधी हे विषय शिकविताना वादविवाद करावे लागत असे. विषयाचे स्पष्टीकरण, आशय, योग्य-अयोग्य यावर चर्चा व वादविवाद यांचे आयोजन केले जात असे. एखाद्या गोष्टीचे खंडन किंवा मंडन केले जातसे. चर्चा केली जात असताना आपले मत इतरांना पटावे यासाठी समर्पक उदाहरणे दाखले, दृष्टांत, रूपके यांचा वापर केला जात असे.
- २) परीक्षा पध्दत - प्राचीन भारतात वार्षिक किंवा नियतकालिक परीक्षा नव्हत्या, अगोदर शिकविलेला भाग शिष्याने आत्मसात केला किंवा नाही हे गुरू मौखिक परीक्षेने पाहत आणि नंतर नविन पाठ शिकविले जात असत.

निःशुल्क शिक्षण

वैदिक काळातील शिक्षण हे निःशुल्क होते, ज्ञानपिपासू जो असेल त्याला निःशुल्क शिक्षण मिळत असे. शिक्षण पूर्ण झाल्या नंतर शिष्य आपल्या ऐपती प्रमाणे गुरुदक्षिणा देत असत. मात्र गुरुदक्षिणा देण्याची सक्ती किंवा बंधन नव्हते. गरीब, श्रीमंत, सामाजिक भेदभाव इत्यादी बाबी न मानता शिक्षण दिले जात असे.(देशपांडे, माळी,७४)

शिक्षणाचा कालावधी

शिक्षणाचा कालावधी किमान १२ ते १७ वर्षांचा होता. यात ५ ते ६ वर्ष व्याकरण व वाङ्मय यांचा अभ्यास करण्यामध्ये व्यतीत होत असे. ८-१० वर्ष वेदांत, धर्माशास्त्र, न्याय, वगैरे जो विद्यार्थ्यांचा विषय असे त्यांच्या अध्ययनात घालवित. वयाच्या २२ ते २३ व्या वर्षी अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असत.(Padma, Kumar, ३७)

शैक्षणिक सत्र

श्रावण महिन्यातील अमावस्येला शैक्षणिक सत्र सुरु होई त्यावेळी उपकर्म हा विधी केला जाई आणि माघ महिन्यातील उत्सर्जन विधी द्वारे शैक्षणिक सत्र समाप्त होत असत.

स्त्री शिक्षण व इतर जातींचे शिक्षण

वैदिक काळात स्त्रीयांना धार्मिक संस्कार करण्याची पूर्ण मोकळीक होती, शिक्षणाच्या सर्व संधी स्त्रीयांना दिल्या जात असत. वैदिक, वाङ्मय व यज्ञविधी यांचा अभ्यास स्त्रीया करू शकत. वैदिक काळाच्या शेवटच्या कालखंडात स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व कमी झाले व केवळ श्रीमंत व राजघराण्यातील स्त्रीयांनाच शिक्षणाची संधी मिळत असल्याचे दिसून येते.(Singh, ०९)

ऋग्वेद काळात शिक्षणाची दारे सर्वांना खुली होती त्यावेळी जाती व्यवस्था जन्माला आलेली नसल्याने मानसिक क्षमता आणि धारणक्षमता ज्यांची उत्तम आहे त्यांनाच शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता. उत्तर वैदिक काळात ही परिस्थिती बदलल्याचे दिसते.

२. बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था

भारतामध्ये इ.स.पूर्व ६ व्या शतकात धर्मव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला जबरदस्त धक्का देणारी एक घटना घडली ती घटना म्हणजे बौद्ध व जैन धर्माचा उदय उत्तर वैदिक काळात यज्ञ कर्मकांडाचे स्तोम माजले कर्मकांडाचे अतिरेकी स्वरूप व उपनिषद काळातील गहन तत्त्वज्ञान तसेच या काळातच मांडली गेलेली त्यागाची व उपभोगाची विचारसरणी यामुळे सामान्य लोकांच्या मनात गोधळाची स्थिती निर्माण झाली. लोकांना याज्ञिक कर्मकांडाचे पालन करणे शक्य होईनासे झाले. अशा स्थितीत लोकांना एक नविन धर्म मिळाला तो म्हणजे बौद्ध धर्म.

इ.स.पू. ५ व्या शतकापासून सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवनात परिवर्तन होऊ लागले होते. लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य वैदिक शिक्षण पध्दतीत राहिले नव्हते. त्या पध्दतीत अनेक दोष निर्माण झाले असल्याचे दिसून येते. बौद्ध धर्माच्या प्रसारामुळे भारतात नविन शिक्षण प्रणाली अंमलात आल्याचे आढळते.(देशपांडे, माळी, २७१)

शिक्षण व्यवस्था

बौद्ध धर्माचा विकास व विस्तार मठातून, विहारातून झाला होता. मठातून, विहारातून शिक्षणाची व्यवस्था केली गेली होती. बौद्ध मठ, बौद्ध शिक्षणाची व ज्ञानाची केंद्रे होती. मठाच्या बाहेर शिक्षण मिळत नसे. धार्मिक व लौकिक सर्व प्रकारचे शिक्षण भिक्षुच्या हाती होते. बौद्ध धर्माच्या प्रचार-प्रसारासाठी एका विशिष्ट शिक्षणाची आखणी करण्यात आली असल्याचे दिसून येते.

बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था प्रामुख्याने तिन भागामध्ये विभागलेली आढळून येते. (१) प्राथमिक शिक्षण, (२) उच्च शिक्षण व (३) व्यवसाय शिक्षण.(पाटील, शेवतेकर, २३)

१) प्राथमिक शिक्षण

बौद्ध काळात प्राथमिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले. प्राथमिक शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट लेखन, वाचन व गणित शिकविणे हे होते. प्रत्येक खेड्यात प्राथमिक शिक्षण देणारी विद्यालये चालविण्याचे काम गावातील लोक करत असत. गावातील श्रीमंत माणसे प्राथमिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करत असत, परंतु अंतिम जबाबदारी गावाची असे. अध्यापकाच्या पोट-पाण्याची व्यवस्था गावकरी करत असत. गावातील बौद्ध भिक्षु प्राथमिक शिक्षण देत. गावातील मंदिरात प्राथमिक शाळा चालविल्या जात असल्याचे दिसून येते.

२) उच्च शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्या नंतर उच्च शिक्षणाची सोय होती त्या साठी जात किंवा इतर बंधने नव्हती. उच्च शिक्षणात अनेक प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचा सामावेश होता. त्यापैकी कोणताही अभ्यासक्रम निवडण्याची सोय होती. उच्चशिक्षणात वेदांचा, बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा, पुराने, काव्ये, उत्पत्ती, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, जोतीष विद्या, योग, न्याय, संगीत, रसोषधी विद्या, मंत्र शास्त्र इत्यादी सारखे असंख्य विषय अभ्यासले जात.(Padma, ४१, ४३) उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र अभ्यास केंद्र निर्माण केल्याचे दिसून येते.

३) व्यवसाय शिक्षण

बौद्ध काळात व्यवसाय शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान दिले गेले आहे. अनेक कला व व्यवसाय या काळात भरभराटीस आले. बौद्ध मठातून राहणाऱ्या भिक्षुंनी कला आणि शिल्प यांचा अभ्यास केल्याचा उल्लेख आढळतो. कपडे विणणे, सुत तयार करणे, शिवणकाम या प्रकारच्या हस्तकलांची उदाहरणे "महावक"या ग्रंथात आढळतात. आयुर्वेद व शैल्य चिकित्सा यांचा या काळात प्रसार झाला तक्षशिल हे विद्यापीठ याकरिता नावाजले होते या काळात राजाकडून व्यवसाय व शिक्षणास राजाश्रय प्राप्त झाल्याचे दिसते.

पब्वज्जा - वैदिक शिक्षण प्रणालितील उपनयन संस्कारा प्रमाणे बौद्ध प्रणालित मुलावर पब्वज्जा हा संस्कार केला जात असे.(Das, ११५) मुलांचे शिक्षण वयाच्या आठव्या वर्षी सुरु होत असे शिक्षणाचा एकूण कालावधी २२ वर्षांचा होता. वयाच्या ८व्या वर्षी सुरु झालेले शिक्षण ३० व्या वर्षापर्यंत चालत असे. बौद्ध विहारातील शिक्षणाची किर्ती परदेशात पसरली आणि तेथील विद्यार्थी भारतात येऊ लागले. ज्ञान भांडार व ग्रंथ भांडार आपल्या मायदेशी घेवून जाऊ लागले. नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, इत्यादी विद्यापीठे त्या काळी शिक्षणाची व संस्कृतीची केंद्र बनली होती.

- संघटीत शिक्षणाचा उदय - वैदिक काळात संघटीत शिक्षण संस्थांचा आभाव होता. एका गुरुकुलात एकच शिक्षक (गुरु) असे. बौद्धकाळात मात्र शिक्षण देण्याचे कार्य संघटीत मठांनी स्वीकारले. अनेक भिक्षु एकत्र येत व आपला संघ बनवत अशा रितीने सार्वजनिक शिक्षण संस्था प्रथम बौद्ध मठात सुरु असल्याचे दिसते.

अभ्यासक्रम - बौद्धकालीन शिक्षणाचा अभ्यासक्रम हा वैदिककालीन शिक्षणापेक्षा प्रगत होता असे चिनी प्रवाशी ह्युएनत्संग याने लिहून ठेवले आहे. या शिक्षणात बौद्ध धर्माची तत्त्वे, लेखन, वाचन, गणित, तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, न्यायशास्त्र, व्याकरण, वाङ्मय, अध्यात्म विद्या, जातक कथा, खगोलशास्त्र, यांचा प्रामुख्याने सामावेश असे.(Das, १२३)

- अध्ययन आणि अध्यापन पध्दती - अध्ययन अध्यापन पध्दतीही जवळ-जवळ वैदिक काळातील पध्दती प्रमाणे होती. अध्ययनात पाठांतर, वादविवाद, चर्चा व परीक्षा पध्दत इत्यादीचा वापर केला जात असे. अध्यापन हे भिक्षुंच्या मजीवर आवलंबून असे.

बौद्धकालीन स्त्री शिक्षण - बौद्ध कालखंडात स्त्रीयांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र मठ होते. ज्या स्त्रीयांनी शिक्षण घेतले त्या त्या समाजातील फक्त वरच्या स्तरातील स्त्रीया होत्या. मुलीची लग्न लहानवयात करण्याची पध्दत या काळात सुरु झाली. त्यामुळे स्त्री शिक्षणावर परिणाम होऊन स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण अल्प राहिले.(Vakil, Natarajan, ०७)

संदर्भ सुची

Nayak J.P.(1965): *Educational Planning in India*, Allied Publishers Private Ltd., Graham Road, Ballard Estate Bombay.

Dash B.N. (1999): *Encyclopedia of Education- History of Education*, Vol. I, Dominant Publishers and Distributors, New Delhi.

Vakil K.S. Natarajan S.(2004): *Education in India*, Vikas Publication House Pvt. Ltd., New Delhi.

Choube P.G. Chaube A (2004): *Education in Ancient India and Medieval India*, Vikas Publishing House Pvt.Ltd., New Delhi.

Padma Ramchandran, Vasant Ramesh Kumar (2005): *Education in India*, National Book Trust, New Delhi.

Singh Yogeshkumar,(2005): *History of Indian Education system*, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.

जाधव, भोसले, सरपोतदार, (२००६): *भारतीय शिक्षणाचा विकास*, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.

शेटकर, जोशी, शेवतेकर(२००२): *भारतीय शिक्षणाचा इतिहास*, मृण्मयी प्रकाशन, औरंगाबाद, पृ.क्र. २७.

घोरमोड के.यु., घोरमोडे के. के.(२००६): *भारतीय शिक्षण प्रणालीचा विकास आणि शालेय व्यवहाराचे अधिष्ठान*, विद्याप्रकाशन, नागपूर.

देशपांडे, माळी (१९९९): *भारतीय शिक्षणाचा इतिहास*, नित्यनूतन प्रकाशन, पुणे.

पाटील, शेवतेकर(२००५): *भारतीय शिक्षण प्रणालीचा विकास*, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.